

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

श्रीमती पाली बनाम बालु लाल (वगैरे)

क्रिसम मुकदमा 111-120 नं० 92 सन् 2020

क्र	हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
26	<p>वाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन भेंटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 14-7-20 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल</p>	
14/7	<p>उभय पक्ष उपस्थित स्थानीय न्यायाधीश राजकीय कार्य से बाहर हैं। अहकाम पर है / परदस्ता है। अतः पत्रावली दिनांक 11-8-20 को पेश हो।</p> <p>रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल</p>	
11/8	<p>पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक को पेश हो।</p> <p>25/8/20</p>	
8/8	<p>उभय पक्ष उपस्थित स्थानीय न्यायाधीश राजकीय कार्य से बाहर हैं। अहकाम पर है / परदस्ता है। अतः पत्रावली दिनांक 5-9-20 को पेश हो।</p> <p>रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल</p>	
3-20	<p>पत्रावली पेश हुई वकील प्राथिया उपस्थित, अप्रार्थीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिससे शां पठकिये गये, वकील प्राथिया अप्रार्थी सं. 6 के विकट कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं इसीलए मांझ से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिससे शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण को कितमी मर्तबा आवाफें दिलायी जाने उपरान्त भी उपस्थित नहीं, इनके विकट एक वर्षका कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाते हैं वकील प्राथिया ने बलस</p>	<p>पियम्मी सै. 6 के पियम्मी कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं 15/9/20</p>

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो
हुकम की तारीख
में जारी हुआ

करनी चाही, वकील प्रार्थिया की वर्य सुनो गयी
वकील प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया
जाकर विठिय प्रथक से लिखा जाकर शामिल
पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार
होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला पीलवाड़ा

राजस्थान -सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

गीठासीन अधिकारी-महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 92/20 प्रा.पत्र

-श्रीमती वार्ता श्री रतनलाल गाडरी गियासी गाडरी मोहल्ला तहसील माण्डल

-प्रार्थी

बनाम

-श्री बालु लाल श्री सुबदेन जाट गियासी- लि.डिया तहसील माण्डल (वगैरा)
(प्रहसंदिता प्रा.पत्र संलग्न है)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 15.09.20

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन या कि ग्राम लि.डिया पटवार हल्का बनावडी तहसील माण्डल में उसके खाले/संयुक्त खाले की आराजी नं. 983/8 कुल किता 01 रकबा 04 गा. बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्हों होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाले/संयुक्त खाले भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 23.06.20 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से प्ररगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकर निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को धते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम लि.डिया पटवार हल्का बनावडी तहसील माण्डल में उसके खाले/संयुक्त खाले की आराजी नं. 983/8 कुल किता 01 रकबा 04 गा. बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक सेजा 4.00/- के कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा वें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये लते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की वें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा

नितिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार प्ररगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा